भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3562

24 मार्च, 2026 के लिए प्रश्न

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का डिजिटलीकरण

3562. श्री नारायण कोरागप्पा:

श्री दीपक प्रकाश:

श्री केसरीदेवसिंह झाला:

डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे:

डा. परमार जशवंतसिंह सालमसिंह:

डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी:

श्री उज्ज्वल देवराव निकम:

श्री ईरण्ण कडाडी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी उचित मूल्य दुकानों (एफपीएस) में इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) उपकरण उपलब्ध करा दिए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) आधार-आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के साथ एकीकृत एफपीएस की वर्तमान संख्या कितनी है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लेन-देन की निगरानी के लिए एक वास्तविक-समय डैशबोर्ड रखती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार लाभों की लक्षित प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए पीडीएस के डेटाबेस को अन्य कल्याणकारी योजनाओं के साथ एकीकृत करने का विचार रखती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): वर्तमान में, देश में कुल 5.51 लाख उचित दर दुकानों (एफपीएस) में से 5.50 लाख (99.8%) दुकानों को ई-पीओएस उपकरण स्थापित करके लाभार्थियों के आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न वितरण के लिए स्वचालित कर दिया गया है।

...2/-

(ग): विभाग केंद्रीय डैशबोर्ड अर्थात आईएम-पीडीएस पोर्टल (impds.nic.in) के माध्यम से ओएनओआरसी संचालन और मासिक लेनदेन की लगातार निगरानी कर रहा है, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में होने वाले पोर्टेबिलिटी के साथ-साथ सामान्य लेनदेन के बारे में गतिशील जानकारी/रिपोर्ट प्रदान करता है।

(घ): वर्तमान में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) डेटाबेस को अन्य कल्याणकारी योजनाओं के साथ एकीकृत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

हालांकि, पारदर्शिता को सुदृढ़ करने, डाटा की सटीकता में सुधार करने और एनएफएसए के तहत लाभार्थियों को सही ढंग से लक्षित करने में सक्षम बनाने के लिए, विभाग ने पीडीएस डेटाबेस को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के डेटाबेस के साथ एकीकृत करने का कार्य शुरू किया है। इसमें आयकर विभाग (सीबीडीटी), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच), कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), जीएसटी (सीबीआईसी) और यूआईडीएआई जैसी संस्थाओं के साथ डाटा साझा करना और उसका सत्यापन करना शामिल है।
